

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 10.20.20

क्रमांक / 1001 / 2020 / अ-तेहत्तर
प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई प्रोत्साहन मद (बजट शीर्ष क्रमांक 2124) में प्राप्त बजट आवंटन विषयक।
संदर्भ:- उद्योग संचालनालय की एकल नस्ती क्रमांक 1/एफ.ए./2/20. (जावब क्रमांक 23, दिनांक 09.09.2020).

विषयांकित में संदर्भित द्वारा प्रेषित उद्योग संचालनालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार परामर्श दिया गया है:-

योजना क्रमांक 2124 एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम छः माह (45 प्रतिशत) हेतु राशि रुपये 7.42 करोड़ अंगी शेष है। सितम्बर माह पश्चात पुनः 25 प्रतिशत राशि रुपये 26.00 करोड़ व्यय हेतु उपलब्ध होगी। अतः 20 प्रतिशत राशि विमुक्त पर फिलहाल विचार नहीं करते हुए दिसंबर माह में प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

2/ उपरोक्त परामर्श वित्त विभाग द्वारा अपने यू.ओ. क्रमांक '316/आर-38/बी-2/iv, दिनांक 01.10.2020 से प्रदान की गई है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
भोपाल, दिनांक 05.10.2020

पृ.क्रमांक 1151 / 1001 / 2020 / अ-तेहत्तर
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल,
5. अवर सचिव (नोडल अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
6. फाईल फोल्डर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सहायक उद्योग संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष), उद्योग संचालनालय,
भोपाल- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग